वित्तीय स्वीकृति

संख्या- 04 /2019/ 415/52-4-2019-1(बजट)/2018

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 24 अक्टूबर, 2019

विषय- वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2430/अ0सं0क0नि0-227/शादीअनु0 योजना/ 2019-20, दिनांक 10.10.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के "अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0304-अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में प्राविधानित धनराशि रू०-74,00,00,000/-(रू०चौहत्तर करोड़ मात्र) का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि रू०-37,00,00,000/- (रू० सैतीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 24.06.2019 के द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त प्राविधानित धनराशि रू०-74,00,00,000/- (रू० चौहत्तर करोड़ मात्र) में से अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू०-37,00,00,000/- (रू० सैतीस करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि से केवल योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं को ही धनराशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1941/52-3-16-सा(35)/2016, दिनांक 29.06.2016, संख्या- 2021/52-3-16-सा (35)/2016, दिनांक 20.07.2016 एवं संख्या-80/52-4-2018-सा (35)/2016, दिनांक 25.01.2018 में निर्गत दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

निर्गत अन्य नियमों/शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(4) आवेदकों का चयन निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को प्रत्येक 04 माह पर तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र माह मार्च,2020 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0304-अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

संख्या-04 /2019/ 415(1)/52-4-2019तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ।

6- रजिस्ट्रार उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है।**

http://shasanadesh.up.gov.in